उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग–8

संख्या / /2022/16(120)/XXVII(8)/2021/ CT-38

देहरादून:: दिनांक:: 22, मार्च, 2022

अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग-8 की अधिसूचना संख्या 880/2021/15(120)/XXVII(8)/CT-35 दिनांक 23 नवम्बर, 2021 द्वारा जारी उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (नौवाँ संशोधन) नियम, 2021 के नियम 1 के उप-नियम (2) के अनुसरण में, 1 जनवरी, 2022 को उस तारीख के रूप में अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जिससे उक्त नियम के नियम 3, नियम 4, नियम 7 के खंड (i) और नियम 8 के उपबंध प्रवृत्त होंगे ।

(मनीषा पंवार)
अपर मुख्य सचिव

सं0 222 /2022/16(120)/XXVII(8)/2021/ CT-38 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।

2–निदेशक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियॉ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100–100 प्रतियॉ वित्त अनुभाग–8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।

3–विधायी एवं संसदीय कार्य अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।

4–अपर सचिव, वित्त–8, उत्तराखण्ड शासन।

5–एन0आई0सी0

6–गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

Math

(बी0बी0 मठपाल)
अपर सचिव

10772
24/03/22

विधि अनुभाग
आवश्यक कार्यवाही करें।

आयुक्त राज्य कर
उत्तराखण्ड।

DT:/Notification December,2021/Effective of Sections of Rules 9th Amendment(27-12-2021)CT-38

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 222 /2022/ 16(120)/ XXVII(8)/ 2021/ CT-38 dated 22, March, 2022 for general information.

Government of Uttarakhand

Finance Section-8

No. 222 /2022/ 16(120)/ XXVII(8)/2021/CT-38

Dehradun : Dated: 22 March, 2022

Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, In pursuance of sub-rule (2) of rule 1 of the Uttarakhand Goods and Services Tax (Ninth Amendment) Rules, 2021, issued vide notification of the Government of Uttarakhand, Finance Section-8, No. 880/2021/ 15(120)/XXVII (8)/2021/CT-35 dated 23rd November, 2021, the Governor, is pleased to allow to notify the 1st day of January, 2022, as the date from which the provisions of rule 3, rule 4, clause (i) of rule 7 and rule 8 of the said rules, shall come into force.

(Manisha Panwar)
Additional Chief Secretary